

कार्यालय-अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2018, लखनऊ, दिनांक: 24 :: सितम्बर-2018

--: आदेश:--

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह नवम्बर-2018 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क्र०सं	बैठने का स्थान	कार्य आवंटन	कार्य- अवधि
1	पीठ-1, आगरा	पीठ-1 व 2 आगरा	12.11.18 से 17.11.18
2	पीठ- मुरादाबाद	पीठ- मुरादाबाद	12.11.18 से 17.11.18
3	पीठ-1, गाजियाबाद	पीठ-1 व 2 गाजियाबाद	12.11.18 से 17.11.18
4	पीठ- झांसी	पीठ- झांसी	26.11.18 से 30.11.18
5	पीठ-1, कानपुर	पीठ-1, 2, 3 व 4 कानपुर	12.11.18 से 17.11.18
6	पीठ-1, लखनऊ	पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ	12.11.18 से 17.11.18
7	पीठ-1, मेरठ	पीठ-1 व 2 मेरठ	26.11.18 से 30.11.18
8	पीठ-1, नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा	26.11.18 से 30.11.18
9	पीठ- 1, वाराणसी	पीठ-1, 2, 3, 4, 5 व 6 वाराणसी	26.11.18 से 28.11.18

2024/9/10

(विकार अहमद अन्सारी)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/2051/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सम्बन्धित सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण।
- 2-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 3-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर/नाजिर) मुख्यालय।
- 4-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष सहोदय की आज्ञा से,

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।